न्यायालय– अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2994 सन् 2026

1. सलीम पुत्र नन्हू निवासी राणा चौक सरकारी फ्लेट थाना खालापार, जिला मुजफ्फरनगर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष,

मुकदमा अपराध संख्या–232 सन् 2026
धारा–317(5),336(2),336(3),340(2),318(4) बी0एन0एस0
थाना–बुढ़ाना,
जिला–मुजफ्फरनगर।

दिनांक–30.06.2026

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम पुत्र नन्हू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–232 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 317(5),336(2),336(3),340(2),318(4) बी0एन0एस0, थाना–बुढ़ाना, जिला मुज़फ़्फ़रनगर के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शकीला पत्नी नानू द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा संदीप कुमार द्वारा संबंधित थाने पर दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथानक इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.05.2026 को मै उ 0 नि0 सदीप कुमार मय हमराहीयान उ 0 नि0 तेजवीर, है0 का0 93 संजय, है0 का0 2330 पुष्पेन्द, है0 का0 176 अमरदीप, है0 का0 64 सुनील, है0 का0 244 नकुल के मय प्राइवेट वाहनो के थाना हाजा से बहवाले रपट न 0 23 समय 08.41 बजे में वास्ते देख रेख शान्ति व्यस्था, चैकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति तलाश वाछित अभियुक्तगण मे रवाना होकर गस्त करते हुऐ गढी चौराहे पर पहुंचा तो मुखबिर ने आकर बताया कि एक वाहन चोर जिसके पास चोरी की कार है वह मन्दवाडा से लुहसाना की तरफ बागवाले रास्ते से जाने वाला है, अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है, मुखबिर की बात का विश्वास कर हम पुलिस वालो ने मय मुखबिर के के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है फिर हम पुलिस वाले अपने वाहनो से मुखबिर के बताये स्थान की तरफ चल दिये और मन्दवाडा से लुहसाना रोड पर एक ट्यूवैल के पास आने जाने वाले वाहनो की चैकिंग करने लगे कुछ समय वाद मन्दवाडा की ओर से एक सफेद रंग की बलैनो कार आती दिखाई दी मुखबिर ने दूर से इसारा करके बताया कि यही वह चोरी की कार है इतना बताकर मुखविर चला गया, हम पुलिस वालो ने तुरन्त सामने से आ रही वलैनो कार के चालक को चेंकिग हेतु रोक लिया, और चालक का नाम पता पुछते हुऐ जामा तलाशी ली तथा कार से सम्बन्धित कागजात दिखाने के लिए कहा तो कार चालक ने अपना नाम सलीम पुत्र नानू खान निवासी राणा चौक के पास सरकारी फ्लैट खाला पार थाना खालापार मु0 नगर बताया तथा कार से सम्वन्धित कागजात दिखाने से कासिर रहा तथा बताया कि साहब इस कार की आरसी, इश्योरस या अन्य कोई भी दस्तावेज मेरे पास नहीं है, यह कार मैने दिसम्बर वर्ष 2025 में गाजियाबाद से चोरी की थी इसपर मैने पुलिस से बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगा ली थी इस कार को मैं अपने निजी काम के लिए प्रयोग करता हूँ, इस व्यक्ति से बरामद कार का भौतिक सत्यापन किया गया तो सफेद रंग की बलैनो कार जिसके आगे व पीछे KA 42N 5933 नम्बर की नम्बर प्लेट लगी हुई है, तथा कार की चालक साइड की खिडकी पर अन्दर की तरफ एक प्लेट लगी है जिसपर चैचिस नम्बर MA3EWB22SLA674232 इजन न 0 K12MN7542589 है। कार पर लगे नम्बर को ई चलान एप पर डालकर चैक किया गया तो उक्त नम्बर पर सफेद रंग की बलैनो कार जिसका चैचिस नम्बर MBHEWB22SMD682083 तथा इजन न 0 K12MP4206873 पर पंजीकृत है। तथा उक्त कार

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.03 10:06:58 IST
Reason: Bail order
Location: A.D.J Court-6 MZN

के भौतिक सत्यापन मे मिले चैचिस नम्बर MA3EWB22SLA674232 को ई चलान एप पर डालकर देखा गया तो उक्त कार का रजि0 न0 UP 16 CN 0865 व इजन नम्बर K12MN7542589 प्राप्त हुआ तथा उक्त कार के सम्बन्ध में इ चलान एप पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त कार की चोरी के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मे मु0 अ 0 स 0 867/2025 दिनाक 28.12.2025 को पजीकृत है। अभियुक्त सलीम उपरोक्त का यह कृत्य उसके जुर्म धारा 317(5), 336(2), 336(3), 340(2), 318 (4) वीएनएस की हद को पहुंचता है अभियुक्त सलीम को उसके जुर्म धारा 317(5), 336(2), 336(3), 340(2), 318(4) वीएनएस से अवगत कराते हुऐ समय 09.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर मुझ उ 0 नि0 द्वारा तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का पालन किया गया, तथा जनता के गवाहन फराहन करने का प्रयास किया गया तो जनता का कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नही हुआ और बिना अपना नाम पता बताये चले गये, गाडी की नम्बर प्लेट को निकालकर एक सफेद कपडे में रखकर सील सर्वेमोहर किया गया दौराने गिरफ्तारी विडियो ग्राफी की गयी फर्द मौके पर ही मुझ उ 0 नि0 द्वारा बोल बोलकर 30 नि० तेजवीर सिह द्वारा लैपटाप पर टाईप कराकर तैयार करायी गयी ।

3. संक्षेप में जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा अन्य किसी न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही खारिज हुआ है और ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय श्रीमान जे.एम. बुढ़ाना के यहां से दिनांक 02.06.2026 को निरस्त हो चुका है। प्रार्थी/मुल्जिम को पुलिस से मिलकर रंजिश झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/मुल्जिम को थाना बुढ़ाना की पुलिस ने दिनांक 20.05.2026 को घर आते ही सकोती से उठाकर अपने साथ ले गयी थी। करीब 7–8 दिन अवैध हिरासत में रखा। प्रार्थी/मुल्जिम को अभियोग उपरोक्त में झूठा फंसाकर दिनांक 28.05.2026 को जेल भेज दिया है। प्रार्थी/मुल्जिम की गिरफ्तारी के समय कोई भी जनता का स्वतंत्रजन साक्षी नहीं हे। प्रार्थी/मुल्जिम की माता शकीला ने दिनांक 24. 05.2026 को मुख्यमंत्री महोदय व श्रीमान अध्यक्ष महोदय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली व अन्य उच्चाधिकारीगण को प्रार्थी/मुल्जिम को पुलिस द्वारा उठाने के संबंध में फैक्स किये थे। प्रार्थी/मुल्जिम पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा किया जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं संबंधित प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार अभियुक्त को चार पहियां गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि जिस दिन की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त से दिखाई गयी है उससे पूर्व ही संबंधित थाना पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को थाने पर बैठा लिया था तथा गलत बरामदगी दर्शायी गयी है। केस डायरी के परिशीलन से विदित होता है कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना भी नहीं बताया गया है। अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त

व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सलीम पुत्र नन्हू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन **70,000/–** (सत्तर हजार रूपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समतुल्य धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0/बी0एन0एस0एस0 की धारा 313/351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0/बी0एन0एस0एस0 की धारा 313/351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(गरिमा सिंह)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।